


# छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

क्रमांक/3036/विद्योचित/2022,

रायपुर, दिनांक 25/02/2022

## :: आदेश ::

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/2089/विद्योचित/2022, रायपुर दिनांक 04.01.2022 के द्वारा कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं के नियमित छात्र हेतु, सभी विषयों के न्यूनतम दो असाइनमेंट अनिवार्य किया गया है, जिसे छात्रहित में कोविड-19 के मद्देनजर शिथिल किया जाता है, अर्थात् मंडल की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए असाइनमेंट जमा करना अनिवार्य नहीं है।


  
25/2/22  
(प्रोफेसर व्ही.के.गोयल)  
सचिव  
छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल,  
रायपुर

पृ.क्रमांक/3037/विद्योचित/2022,

रायपुर, दिनांक 25/02/2022

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर माननीय मंत्रीजी, को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
3. अध्यक्ष के निज सचिव/सचिव के निज सहायक छ.ग.मा.शि.मं. रायपुर,
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
5. संचालक, एससीईआरटी शंकर नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ,
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़,
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,
8. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी, छ.ग. मा.शि.मं. रायपुर,
9. समस्त संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय छ.ग. मा.शि.मं. (बिलासपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, अंबिकापुर),
10. प्राचार्य समस्त समन्वय संस्थाएँ, उमावि छत्तीसगढ़ की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,
11. प्रोग्रामर, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर, को मंडल की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
12. आदेश फोल्डर।

  
25/2/22  
सचिव  
छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल,  
रायपुर